उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-29/2023/एस-2-।/315418/दस-2023-170/2022

लखनऊ :: दिनॉक:: 12 मई, 2023

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित तैनाती होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	अतिरिक्त कार्यभार का पद व स्थान
1	2	3
1	श्री संतोष कुमार शर्मा, वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	वित्त अधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2	श्री सिद्धार्थ कुमार गौतम, मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।	वित्त नियंत्रक, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

समीर
विशेष सचिव।

<u>संख्या-29/2023-एस-2-।/315418(1)/दस-2023,तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
2- कुलपति,महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3- कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी।
4- उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
7- मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी।
8- संबंधित अधिकारीगण ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(समीर)
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।